भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 7/08/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 मार्च, 2026

<u>जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना</u>

(मामला संख्या एडी(एसएसआर)-04/2026
(एसईटीयू मामला आईडी- एडी/एसएसआर/004/2026)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लोहा, अलॉय अथवा नॉन अलॉय स्टील के सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स एंड होलो प्रोफाइल्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

फा. सं.7/08/2026 - डीजीटीआर - जिंदल सॉ लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लोहा, अलॉय अथवा नॉन अलॉय स्टील के सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स एंड होलो प्रोफाइल्स" (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर), चाहे वह हॉट फिनिस्ड हो अथवा कोल्ड ड्रॉन हो अथवा कोल्ड रोल्ड हो और जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम या 14"ओडी" से अधिक न हो परंतु उसमें ऑयल कंट्री ट्युबलर गुड्स (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' भी कहा गया है) के आयतों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरु करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है)

के समक्ष आवेदन दायर किया है। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से ओसीटीजी के आयात शुल्कों को समाप्त किए जाने के मामले में पाटित किए जाने की संभावना नहीं है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, और इस प्रकार, ऐसी वस्तुओं के आयातों पर शुल्कों को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात जारी रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाना जारी रहा है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने वर्तमान क्षति को समाप्त करने के लिए शुल्क के रूप में परिवर्तन और शुल्क की मात्रा में वृद्धि का अनुरोध किया है।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

प्राधिकारी ने दिनांक 8 जुलाई 2015 की अधिसूचना के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू की है। प्राधिकारी ने 31 मार्च 2016 की अधिसूचना के माध्यम से अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की। अनंतिम शुल्क अधिसूचना संख्या 18/2016 - सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 मई 2016 के माध्यम से लगाया गया था। प्राधिकारी ने 9 दिसंबर 2016 को अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिसमें निश्चयात्मक शुल्क, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश दिनांक 17 फरवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 7/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), के माध्यम से की गई थी।

19 फरवरी 2021 को, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू की। जांच के निष्कर्ष लंबित रहने तक, अधिसूचना संख्या 29/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 7 मई 2021 के अनुसार शुल्कों को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। की गई समीक्षा के आधार पर, प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि शुल्कों को समाप्त करने से पाटन जारी रहेगा और घरेलू उद्योग को क्षति होगी, और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 30 जुलाई 2021 के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की। पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना संख्या 64/2021-सीमा शुल्क

(एडीडी), दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के माध्यम से जारी रखा गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 27 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो जाएगा।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

मूल जांच में परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नानुसार है।

> *"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "लोहा, अलॉय अथवा नॉन अलॉय स्टील के सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स एंड होलो प्रोफाइल्स (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर), चाहे वह हॉट फिनिस्ड हो अथवा कोल्ड ड्रॉन हो अथवा कोल्ड रोल्ड हो और जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम या 14 "ओडी"* से अधिक न हो" है। इसमें *हाइड्रोकार्बन उद्योग में उपयोग किए जाने वाले बॉयलर पाइप या लाइन पाइप और तेल और गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के आवरण और ट्यूबिंग शामिल हैं। निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है:*
>
> *i. कॉस्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील से बने सीमलेस पाइप्स और ट्यूब्स।*
>
> *ii. एएसटीएम ए213/एएसएमई एसए 213 और एएसटीएम ए335/ एएसएमई एसए 335 या समकक्ष बीआईएस/डीआईएन/बीएस/ईएन या किसी अन्य समकक्ष विशिष्टताओं के विनिर्देशों के सीमलेस अलॉय स्टील पाइप्स, ट्यूब्स और होलो प्रोफाइल।*
>
> *iii. नॉन-एपीआई एंड प्रीमियम ज्वाइंट्स/प्रीमियम कनेक्शंस/प्रीमियम थ्रीडेड ट्यूब्स एंड पाइप्स जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 के अंतर्गत क्र.सं. 356 पर निर्धारित किया गया।*
>
> *iv. सभी 13 क्रोमियम (13सीआर) ग्रेड ट्यूब और पाइप्स।*
>
> *v. ड्रिल कॉलर।*
>
> *vi. उच्च दबाव वाले सीमलेस स्टील पाइप/ट्यूब का उपयोग मुख्य नियंत्रक विस्फोटक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार द्वारा*

अनुमोदित उत्पादकों द्वारा गैस सिलेंडर के निर्माण के लिए किया जाता है"

आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान समीक्षा में संबद्ध वस्तुओं के क्षेत्र में प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में यथा-परिभाषित पीसीएन ए-1-1, ए-1-2, ए-1-3 और ए-1-4 के अंतर्गत आने वाले ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स (ओसीटीजी) शामिल नहीं होने चाहिए। आवेदकों ने दावा किया है कि ऐसे माल के कारण पाटन अथवा क्षति के जारी रहने की संभावना नहीं होने पर, ऐसी वस्तुओं के आयातों के संबंध में शुल्कों को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उसी के मद्देनज़र, वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए, विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथा-परिभाषित है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है -

i. ऑयल अथवा गैस के लिए ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीमलेस ट्यूबिंग, कार्बन/*नॉन अलॉय/अलॉय, हॉट फिनिस्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन हो अथवा कोल्ड रोल्ड जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो।*

ii. ऑयल अथवा गैस के लिए ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीमलेस केसिंग, कार्बन/*नॉन अलॉय/अलॉय, हॉट फिनिस्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन हो अथवा कोल्ड रोल्ड जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो।*

iii. सीमलेस मदर होलोज, कपलिंग स्टॉक, ब्लैंक्स/पप ज्वाइंट्स, कार्बन/*नॉन अलॉय/अलॉय, हॉट फिनिस्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन हो अथवा कोल्ड रोल्ड जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो।*

iv. ऑयल अथवा गैस के लिए ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीमलेस ड्रिल पाइप्स, कार्बन/*नॉन अलॉय, हॉट फिनिस्ड जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो।*

विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 73, शीर्ष 7304 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण

केवल सांकेतिक है और वर्तमान समीक्षा के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

आवेदकों ने मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें पीसीएन ए-1-1, ए-1-2, ए-1-3 और ए-1-4 शामिल नहीं हैं।

पीसीएन	पीयूसी का विवरण
ए-1-5	कार्बन/*नॉन अलॉय स्टील, हॉट फिनिस्ड जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो सहित सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और होलो प्रोफाइल्स*
ए-1-6	कार्बन/*नॉन अलॉय स्टील, कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड अथवा कोल्ड रिड्युस्ड जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो, के लाइन पाइप्स सहित सर्कुलर क्रास सेक्शन का सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और होलो प्रोफाइल्स*
ए-1-7	*अलॉय स्टील, हॉट जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो, के लाइन पाइप्स और बियरिंग ट्यूब्स सहित सर्कुलर क्रास सेक्शन का सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और होलो प्रोफाइल्स*
ए-1-8	*अलॉय स्टील, कोल्ड ड्रान अथवा कोल्ड रोल्स अथवा कोल्ड रिड्युस्ड जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14 ओडी से अधिक न हो, का लाइन पाइप्स और बियरिंग ट्यूब्स सहित सर्कुलर क्रास सेक्शन का सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स और होलो प्रोफाइल्स*

संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उपलब्ध करा सकते हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों में कोई अधिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित वस्तु के तुलनीय हैं। ये दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और नियमावली के तहत 'समान वस्तु' के रूप में माने जाने चाहिए। समान वस्तु के मुद्दे की मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है। इसलिए, वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

घ. <u>घरेलू उद्योग</u>

यह आवेदन जिंदल सॉ लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरस लिमिटेड और महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देश में किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदकों के अलावा, संबद्ध वस्तुओं के 6 अन्य ज्ञात उत्पादक हैं।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों का उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 90% से अधिक है, और इस प्रकार, नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से यह घरेलू उद्योग हैं। इसके अलावा, यह नोट जाता है कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. <u>जांच की अवधि</u>

आवेदकों ने जांच की अवधि के रूप में 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि को वर्तमान समीक्षा के लिए जांच की अवधि के रूप में माना है। तदनुसार, क्षति की अवधि 2022-23, 2023-24-, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. संबद्ध देश

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

छ. <u>पाटन के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना</u>

i. <u>सामान्य मूल्य</u>

आवेदक ने दावा किया है कि चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के संदर्भ में, चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जन.गण. में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत या लागत के आधार पर किया जा सकता है, केवल तभी जब उत्तरदायी चीन के उत्पादक यह दर्शाते हों कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और नियमावली के अनुबंध । के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना की अनुमति देती है, अन्यथा, नियमावली के पैरा 7 और 8 के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, आवेदकों ने भारत में भुगतान की गई या भुगतान योग्य कीमत और उसके साथ उचित लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि उनके पास किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों या लागतों अथवा किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से तीसरे देशों को निर्यात की कीमत के संबंध में जानकारी तक पहुंच नहीं है।

ii. <u>निर्यात कीमत</u>

डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना की गई है। निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, हैंडलिंग शुल्क, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के कारण समायोजन किया गया है।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतक से अधिक और सकारात्मक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद को भारतीय बाजार में पाटित किया जाना जारी है।

ज. <u>क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना</u>

आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग क्षति पहुंचाना जारी रहा है।। आवेदकों ने दावा किया है कि क्षति की अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि जारी रही है। संबद्ध आयात कम कीमतों पर बाजार में हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में कड़ी कीमत प्रतिस्पर्धा हो रही है, और घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हुआ है और ये कम हो गई हैं। पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति के परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को क्षमताओं के बहुत कम उपयोग का सामना करना पड़ा है।

इसके अलावा, आवेदकों ने दावा किया है कि यदि शुल्क समाप्त होने की अनुमति दी जाती है तो पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है। इस संबंध में, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबंधित देश के निर्यातकों ने शुल्क के बावजूद संबद्ध वस्तुओं को पाटित करना जारी रखा है। पहली निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि की तुलना में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देश में निर्यातकों के पास मांग से अधिक निष्क्रिय क्षमताएं हैं, और वे आगामी क्षमता वृद्धि की योजना बना रहे हैं, उच्च स्तर का निर्यातोन्मुख है और तीसरे देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक उपायों और अन्य प्रशुल्क उपायों का भी सामना कर रहे हैं।

वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना दर्शाने वाले *प्रथम* दृष्टया साक्ष्य मौजूद है।

झ. <u>निर्णायक समीक्षा की शुरुआत</u>

आवेदकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होकर, पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना को प्रमाणित करते हुए नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी इस प्रकार संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं, जो संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित की जाती है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या बार-बार होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ट. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद के साथ संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित दी जा रहे है ताकि वे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से दायर की ही जानी चाहिए।

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली के प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि-पत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov. को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. <u>समय सीमा</u>

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- **एडी(एसएसआर)-04-2026** के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में यथा-

निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

पीयूसी/पीसीएन कार्य-पद्धति के क्षेत्र के संबंध में टिप्पणियां दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा जांच की शुरुआत संबंधी इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार, 15 दिनों से अधिक के विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

समय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

वर्तमान जांच में जहां कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना देता है, तो ऐसे पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया ही जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या खाली (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सारांश संभव क्यों नहीं है।

हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ होगा।

ण. <u>असहयोग</u>

यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में बहुत अधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी